

# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jodhpur@yahoo.com वेब- साईट- jodhpurda.org Phone No 0291-2612062/2612063 Fax 0291-2612066

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/ 880

दिनांक:- 10/09/2021

## -कार्यवाही विवरण:-

**विषय:-** भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 07/2021 वीं बैठक दिनांक 17.08.2021 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

### एजेण्डा संख्या 1 :- (17.08.2021)

**विषय :-** भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 05/2021 वीं बैठक दिनांक 02.07.2021 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

**निर्णय :-** समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

### एजेण्डा संख्या 2 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण

**विषय :-** राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 49/23, 49/21, 49/7 रकबा 03.18.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री पवन मालानी पुत्र श्री रमेशचन्द्र मालानी

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि मुख्य बोरानाडा-सालावास रोड पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 अनुसार 160 फीट रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोधपुरा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोधपुरा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

### एजेण्डा संख्या 3 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण

**विषय :-** राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/20 रकबा 01.14.02 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री बद्रीनारायण मालवीय श्री भूपेन्द्र मालवीय पुत्रान् श्री भैरूलाल

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 80 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. आवेदित भूमि पर फैक्ट्री निर्मित है। अतः मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 4 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/42 रकबा 01.00.02 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।  
**आवेदक :-** श्री महावीर पारख पुत्र श्री सोहनलाल

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई

16

विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 5 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/53 रकबा 00.18.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन वावत।  
आवेदक :- श्रीगती दीपिका पत्नी श्री जयवर्धनसिंह सांखला

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है 0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 6 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/43 रकबा 00.18.12 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
आवेदक :- श्री चेतन बागरेचा पुत्र श्री सोहनलाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।

3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 7 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/46 रकबा 01.02.07 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
**आवेदक :-** श्रीमती पूजा पत्नी श्री मनीष मुथा

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 8 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 51/11 रकबा 04.04.00 बीघा में 03.02.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
**आवेदक :-** श्रीमती समु पत्नी श्री सोनाराम

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में नियोजित औद्योगिक विकास के दृष्टिगत सम्पूर्ण खसरा भूमि हेतु आवेदन करते हुए प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।



**एजेण्डा संख्या 9 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 51/31, 51/34 रकबा 05.09.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
**आवेदक :-** मैसर्स ऋषभ एक्सपोकापटस प्रा. लि जरिये निदेशक श्री रिषभ चौपडा

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि मुख्य बोरानाडा-सालावास रोड पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 अनुसार 160 फीट रखा जावे। आवेदित भूमि को नाले के उपर से पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है जिसमें नाले की सीमा से 60 फीट सड़क रखी जावे। साथ ही आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित राजस्व रास्ते की चौड़ाई प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किये गये अनुमोदन अनुसार 60 फीट रखी जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है 0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल (लगभग 07.13 वर्गमीटर) के संबंध में जोन स्तर से जांच कर नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की रागरत जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रशंगता भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 10 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 127/4 कुल रकबा 02.13.00 बीघा में से 01.10.05 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
**आवेदक :-** श्रीमती केलीदेवी पत्नी श्री मांगीलाल पटेल

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में नियोजित औद्योगिक विकास के दृष्टिगत सम्पूर्ण खसरा भूमि हेतु आवेदन करते हुए प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा संख्या 11 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 248/14, 248/15, 248/16 रकबा 03.15.15 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
**आवेदक :-** श्री वजरंग इन्टरनेशनल जरिये भागीदार श्री लक्ष्मीकान्त पित्ती पुत्र श्री मगनीराम व श्रीमती अनामिका पत्नी श्री लक्ष्मीकान्त पित्ती

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के पूर्व व पश्चिम दिशा में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किये गए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है, अतः नियमानुसार त्रिज्या की गोलाई रखी जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 12 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 127/8, 127/11 से 127/16 एवं 127/31 से 127/33 रकबा 13.01.01 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
**आवेदक :-** मैसर्स इम्पीरियल आर्ट्स जरिये भागीदार श्री जितेन्द्र बोहरा पुत्र श्री सोहनलाल जैन

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 80 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. आवेदित भूमि एवम् सड़क के मध्य बिन्दु से दूरी बाबत रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
4. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल (लगभग 15.38 वर्गमीटर) के संबंध में जोन स्तर से जांच कर नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से अधिक क्षेत्रफल होने के कारण 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई



- विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 13 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 127/30 रकबा 00.19.17 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
**आवेदक :-** श्री गुराराम पटेल पुत्र श्री मागीलाल पटेल

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 80 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है 0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 14 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 130/8 रकबा 02.19.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
**आवेदक :-** हरिश इण्डस्ट्रीज पार्टनर श्री दिनेश कुमार डोयल, हनवंतकुमार डोयल

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में राजस्व मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि एवं सड़क के मध्य स्थित खसरा संख्या 129 की स्थिति स्पष्ट करने बाबत जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उपरोक्त की सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा संख्या 15 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 53/27, 53/26 रकबा 01.15.18 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
**आवेदक :-** श्रीमती सुआदेवी पत्नी श्री नरीगराम

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

7

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 16 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/13 रकबा 01.00.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

**आवेदक :-** श्रीमती मनीष गांधी पुत्र श्री रूपकिशोर गांधी

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।



**एजेण्डा संख्या 17 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1088/740/1 रकबा 01.15.14 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
**आवेदक :-** श्रीमती रमीला भाटी पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण भाटी

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 100 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पी.टी सर्वे प्लान में दर्शित नाले के संबंध में कनिष्ठ अभियन्ता व पटवारी की संयुक्त मौका रिपोर्ट प्राप्त किया जाकर तथा 100 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर पर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 18 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1964/740 रकबा 01.01.08 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
**आवेदक :-** सुश्री कृतिका बाहेती पुत्री श्री कमल किशोर

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 100 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पी.टी सर्वे प्लान में दर्शित नाले के संबंध में कनिष्ठ अभियन्ता व पटवारी की संयुक्त मौका रिपोर्ट प्राप्त किया जाकर तथा 100 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर पर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।



4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, बाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 19 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1963 / 740 रकबा 01.01.08 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
**आवेदक :-** श्रीमती संतोष बाहेली पत्नी श्री कमल किशोर

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 100 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पी.टी सर्वे प्लान में दर्शित नाले के संबंध में कनिष्ठ अभियन्ता व पटवारी की संयुक्त मौका रिपोर्ट प्राप्त किया जाकर तथा 100 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर पर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, बाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 20 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 474 / 75 रकबा 00.09.15 बीघा के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
**आवेदक :-** श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री कालूराम

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-



1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 100 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र अनुसार पट्टा विलेख जारी किए जाने से पूर्व सड़क मार्गाधिकार में हुए निर्माण को हटाये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
4. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे एवं तदनुसार सेफ्टी कोरिडोर छोड़ा जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 21 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 331/4, 331/2 रकबा 11.02.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

**आवेदक :-** श्रीमती सुमन शाह पत्नी श्री प्रकाश शाह, श्रीमती मंजुला शाह पत्नी श्री शान्तिलाल शाह, श्रीमती साधना शाह पत्नी श्री रमेश शाह

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के सामने 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। ले-आउट प्लान में दर्शाये गये सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. प्रस्तुत मानचित्र के भूखण्ड संख्या 1, 13, 14, 20 व 22 के दक्षिण दिशा में प्रस्तावित 30 फीट सड़क को 40 फीट किया जाकर मानचित्र जारी किए जावे।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्य की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 22 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**



**विषय :-** राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 331, 331/1, 331/3 रकबा 08.05.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

**आवेदक :-** श्री भंवरलाल पुत्र श्री मुल्तानराम, श्रीमती लीला भण्डारी पत्नी श्री सुधीर भण्डारी, श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री दयाराम, श्रीमती शकुन्तला शाह पत्नी श्री सुरेश शाह

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के सामने 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। ले-आउट प्लान में दर्शाये गये सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 23 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 178/13 रकबा 02.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

**आवेदक :-** श्री सुरेश पुत्र श्री ओमाराम, श्री मनोहर पुत्र श्री ओमाराम

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के सामने 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। ले-आउट प्लान में दर्शाये गये सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदित भूमि पर मकान निर्मित है। अतः मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई



विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 24 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 285/16 रकबा 00.11.00 बीघा के व्यवसायिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
**आवेदक :-** श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी श्री बाबुलाल लढढा

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र, जोधपुर) भवन विनियम 2020 अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/बाईपास आदि प्रमुख सड़कों के दोनों ओर प्रस्तावित 30 मीटर चौड़े ग्रीन बफर का अधिकतम 30 प्रतिशत भाग पर ही अप्रोच रोड/सर्विस रोड आदि अनुज्ञेय होने के कारण प्रकरण को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा संख्या 25 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 285/17 रकबा 00.11.00 बीघा के व्यवसायिक औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
**आवेदक :-** श्री रामेश्वर गांधी पुत्र श्री इग्याराम

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र, जोधपुर) भवन विनियम 2020 अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/बाईपास आदि प्रमुख सड़कों के दोनों ओर प्रस्तावित 30 मीटर चौड़े ग्रीन बफर का अधिकतम 30 प्रतिशत भाग पर ही अप्रोच रोड/सर्विस रोड आदि अनुज्ञेय होने के कारण प्रकरण को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा संख्या 26 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 285/18 रकबा 00.11.00 बीघा के व्यवसायिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
**आवेदक :-** श्री सोहनलाल मंत्री एच.यू.एफ जरिये कर्ता श्री सोहनलाल मंत्री

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र, जोधपुर) भवन विनियम 2020 अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/बाईपास आदि प्रमुख सड़कों के दोनों ओर प्रस्तावित 30 मीटर चौड़े ग्रीन बफर का अधिकतम 30 प्रतिशत भाग पर ही अप्रोच रोड/सर्विस रोड आदि अनुज्ञेय होने के कारण प्रकरण को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा संख्या 27 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 350/1, 350/2 रकबा 04.05.01 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
**आवेदक :-** श्री पारसमल जैन पुत्र श्री भीखचन्द बहैसियत आम मुख्त्यार श्री लाभचंद जीनगर पुत्र श्री प्रतापचन्द जीनगर, श्री पप्पाराम चौधरी पुत्र श्री अर्जुन राम बहैसियत आम मुख्त्यार श्री पप्पाराम पुत्र श्री प्रतापराम

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के सामने विद्युत लाईन के सेप्टीकोरिडोर के उपरान्त 40 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। ले-आउट प्लान



- में दर्शाये गये सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. प्रार्थी से नियमानुसार 5 प्रतिशत पार्क एवं खुला क्षेत्र का प्रावधान करते हुए एवं एच.टी लाईन के सेफ्टी कोरीडोर के नीचे दर्शित पार्क के स्थान पर ग्रीन क्षेत्र दर्शाते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें।
  3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
  4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
  5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
  6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 28 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 147/1 रकबा 03.17.00 बीघा के सी.एम.जे.वाई के प्रावधान 3 बी के तहत आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

**आवेदक :-** श्री गोपाराम पुत्र श्री लादुराम श्री हनुमानराम पुत्र श्री लादुराम श्री छैलाराम पुत्र श्री लादुराम श्री पप्पुराम पुत्र श्री लादुराम श्री भगवानराम पुत्र श्री लादुराम श्री जयराम पुत्र श्री लादुराम

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के सामने 30 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावें। ले-आउट प्लान में दर्शाये गये सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. सीएमजेवाई की गाइडलाईन की पूर्ण पालना की जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 29 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 466 रकबा 00.14.09 बीघा के सामान्य वेयर हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

**आवेदक :-** श्रीमती लूणीदेवी पत्नी श्री केवलचंद

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.02.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार सामान्य वेयर हाउस हेतु क्षेत्र विशेष की आवश्यकता होने पर जोन चिन्हिकरण की कार्यवाही की जावे। उपरोक्त की सुनिश्चितता उपरांत प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

**एजेण्डा संख्या 30 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम घिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 462/2 रकबा 08.00.00 बीघा के शैक्षणिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
आवेदक :- रोड्रुल एकेडमी जोधपुर एजुकेशन सोसायटी जरिये अध्यक्ष श्री अंकित मिश्रा पुत्र श्री दिनेश नारायण मिश्रा

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदित भूमि पर विद्यालय भवन निर्मित है। अतः मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
3. आवेदित भूमि तथा सड़क के मध्य बिन्दु से दूरी बाबत जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.06.2017 अनुसार संस्थानिक प्रयोजनार्थ हेतु पट्टा जारी किये जाने के समय 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र छोड़े जाने की अनिवार्यता नहीं है। अतः तदनुसार कार्यवाही की जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 31 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा संख्या 534/4 रकबा 08.00.00 बीघा में से 06.00.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
आवेदक :- श्री राहुल खत्री पुत्र श्री नारायणलाल खत्री

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में नियोजित औद्योगिक विकास के दृष्टिगत सम्पूर्ण खसरा भूमि हेतु आवेदन करते हुए प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा संख्या 32 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम सरेचा के खसरा संख्या 446/4 रकबा 07.09.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
आवेदक :- श्री रमेश पारख पुत्र श्री हस्तीमल पारख जरिये आममुख्यार श्री शिवराम पुत्र श्री जोगाराम।



**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. प्रस्तुत मानचित्र में जोन स्तर से रेलवे सीमा का अंकन करवाया जाकर तथा तदनुसार रेलवे सीमा से 100 फीट भूमि पर निर्माण निषिद्ध क्षेत्र का अंकन करते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 33 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम खेडा सरेचा के खसरा संख्या 777, 777 / 1 रकबा 18 08.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

**आवेदक :-** श्री नगराम के फौत होने पर श्रीमती गजरा पत्नी स्व. श्री नगराम

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. प्रस्तुत मानचित्र में जोन स्तर से रेलवे सीमा का अंकन करवाया जाकर तथा तदनुसार रेलवे सीमा से 100 फीट भूमि पर निर्माण निषिद्ध क्षेत्र का अंकन करते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र



लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 34 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम सरेधा के खसरा संख्या 446/2, 446/3 रकबा 14.16.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
**आवेदक :-** श्रीमती गजरा पत्नी स्व. श्री नगाराम

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. प्रस्तुत मानचित्र में जोन स्तर से रेलवे सीमा का अंकन करवाया जाकर तथा तदनुसार रेलवे सीमा से 100 फीट भूमि पर निर्माण निषिद्ध क्षेत्र का अंकन करते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे।
3. गारटर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त ज़िम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 35 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 80, 80/1, 80/2, 80/3 व 82/1 में स्थित भूखण्ड संख्या 1 से 4 कुल क्षेत्रफल 13714 वर्गगज (11466.27 वर्गमीटर) आवासीय प्रयोजनार्थ के समुक्तीकरण बाबत।  
**आवेदक :-** श्री पुखराज पुत्र श्री युग्नीलाल व थार लाईफस्पेस जरिये श्री रूयिर पारख पुत्र श्री रमेश पारख

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण को अनुशांसा के साथ समस्त तथ्यों को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा संख्या 36 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम मोगडा कलां में प्राधिकरण की अनुमोदित "पत्रकार कोलोनी" योजना के ले-आउट प्लान में संशोधन करने बाबत।

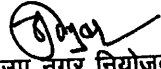
**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवेदित भूमि में पूर्व में स्टेडियम हेतु आवंटित भूमि को यथावत रखते हुए कार्यवाही की जाएं। उक्त योजना में जोधपुर-पाली सड़क पर वृक्षारोपण पट्टी के उपरांत जोन से प्राप्त सर्वे अनुसार मुख्य रूप से 30'x60' आकार में आवासीय भूखण्ड तथा इन्फॉर्मल शॉप्स प्रस्तावित किये गये हैं। साथ ही नियमानुसार सुविधा क्षेत्र तथा पार्क एवम् खुले क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। उक्त योजना दक्षिण जोन में स्थित है जिसमें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी हेतु बड़ी मात्रा में प्लेट्स का निर्माण किया जा रहा है। अतः उक्त योजना में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी के आवासों का प्रावधान नहीं किया गया है, इस बाबत राज्य सरकार से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट आवासीय योजना हेतु सक्षम स्वीकृति प्राप्त किया जाकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा संख्या 37 :- (17.08.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम सांगरिया में प्राधिकरण की अनुमोदित "मामा अचलेश्वर नगर" योजना के ले-आउट प्लान में संशोधन करने बाबत।

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामा अचलेश्वर नगर एवम् विवेक विहार के मध्य स्थित रिक्त सरकारी भूमि में कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार संशोधित ले-आउट प्लान का अनुमोदन किया गया। साथ ही आवेदित भूमि में से गुजर रही सड़क के संबंध में निदेशक अभियांत्रिकी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जावे जिसमें अधीक्षण अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता की संयुक्त मौका रिपोर्ट प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त रिपोर्ट अनुसार सड़क मार्गाधिकार निर्धारित करते हुए सड़क से प्रभावित भूखण्डों को उपरोक्तानुसार अनुमोदन किये गये संशोधित ले-आउट प्लान में समायोजन किये जावें। उक्त सड़क को प्राधिकरण स्तर पर तैयार करवाये जा रहे जोनल डवलपमेंट प्लान में समायोजित किये जाने बाबत आयोजना शाखा को निर्देशित किया गया।

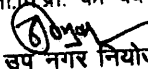
आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
उप नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव  
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण,  
जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./वीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/881-885  
प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

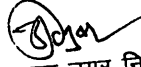
  
उप नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव  
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

दिनांक:- 10/09/21

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 07/2021 वीं बैठक दिनांक 17.08.2021 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- |                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. श्री कगर चौधरी, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।                     | अध्यक्ष    |
| 2. श्री हरमान मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा., जोधपुर।                      | सदस्य      |
| 3. श्री राजेश वर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।           | सदस्य      |
| 4. श्री लाडूराम विश्वाई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य      |
| 5. श्री राजेन्द्र चांदावत, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर     | सदस्य      |
| 6. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।            | सदस्य सचिव |



उप नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण,  
जोधपुर